न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार, (स0मा0)

पीठासीन अधिकारीः— वर्षा मीना (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
01/2024	24.01.2024	15.04.2026

1. कैलाश पुत्र धन्ना जाति बैरवा निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार जिला स0मा0।
2. बाबूलाल पुत्र मांग्या बैरवा निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार जिला स0मा0।
3. ओमप्रकाश पुत्र मांग्या बैरवा निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार जिला स0मा0।
4. हरिमोहन पुत्र मांग्या बैरवा निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार जिला स0मा0।
5. कल्याण पुत्र काना बैरवा निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार जिला स0मा0।
6. केशव पुत्र बजरंगा बैरवा निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार जिला स0मा0।
7. सन्तरा पत्नि बजरंगा बैरवा निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार जिला स0मा0।
8. रामकोरया पिता जगन्या बैरवा निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार जिला स0मा0।
9. प्रकाश पुत्र पिता जगन्या बैरवा निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार जिला स0मा0।
10. लड्डू पुत्र पिता नारायण बैरवा निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार जिला स0मा0।
11. कन्हैया पुत्र पिता नारायण बैरवा निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार जिला स0मा0।
12. रामचरण पिता नारायण बैरवा निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार जिला स0मा0।
13. राजू पिता प्रहलाद बैरवा निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार जिला स0मा0।
14. अशोक पुत्र प्रहलाद बैरवा निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार जिला स0मा0।
15. प्रकाश पुत्र प्रहलाद बैरवा निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार जिला स0मा0।
16. कमल पुत्र नारायण बैरवा निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार जिला स0मा0।
17. रामनिवास पुत्र लक्ष्मण बैरवा निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार जिला स0मा0।
18. प्रभु पुत्र चतरू गुर्जर निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार जिला स0मा0।
19. नागाराम पिता गिरधारी गुर्जर निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार जिला स0मा0।
20. हुकमचन्द पिता गिरधारी गुर्जर निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार जिला स0मा0।
21. नागा पुत्र बाल्या बैरवा निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार जिला स0मा0।
22. मदन पुत्र बाल्या बैरवा निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार जिला स0मा0।
23. मिन्तोष पत्नि बृजेश बैरवा निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार जिला स0मा0।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. बृजकिशोर पुत्र कल्याण जाट निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार जिला स0मा0।
2. घनश्याम पुत्र कल्याण जाट निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार जिला स0मा0।
3. देवकीनन्दन पिता कल्याण जाट निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार जिला स0मा0।
4. प्रहलाद पुत्र लक्ष्मण जाति जाट निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार जिला स0मा0।
5. हरिमोहन पुत्र गोपाल बैरवा निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार जिला स0मा0।
6. धनराज पुत्र गोपाल जाति बैरवा निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार जिला स0मा0।
7. तहसीलदार लैंड होल्डर तहसील खण्डार।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—श्री नागाराम मीना अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
श्री रमेश चन्द तेहरिया अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:16:51 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

1. प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज0टी0एक्ट 1955 पेश किया है जिसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार से हैः—

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

- प्रार्थीगण सभी ग्राम जयसिंहपुरा के कास्त पेशा आदमी हैं द्य तथा अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 भी ग्राम जयसिंहपुरा के निवासी हैं। तथा अप्रार्थी संख्या 7 तहसीलदार जी लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया हैं ।

- अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 ग्राम जयसिंहपुरा के जाट समुदाय के सदस्य हैं जो कि प्रभावशाली व्यक्ति हैं तथा अप्रार्थीगण 5 व 6 भी ग्राम जयसिंहपुरा के निवासी हैं। जो अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 से मिले हुए हैं।

- प्रार्थीगण अपने खेतों को हांक जोत करने के लिए गाँव से निकलकर आगे सर्वप्रथम अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 के खेत खसरा नं.466/66 रकबा 4 बीघा की दक्षिणी मेड व अप्रार्थी सं.5 व 6 के खेत खसरा नम्बर 461/ 66 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 462/66 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा जिनको अप्रार्थीगण ने एक ही खेत बना रखा हैं की उत्तरी मेड के सहारे सहारे अपने अपने खेतों को हांक जोतने व फसल लाने ले जाने के लिए ट्रेक्टर आदि कृषि यंत्र ले जाते रहे हैं द्य तथा इन से आगे एक दूसरे के खेतों से होकर गुजरते हुए निकल जाते हैं द्य किन्तु इन सभी अप्रार्थीगणों के खेतों सहित प्रार्थीगणों के खेतों में कोई राजस्व रिकार्ड में रिकार्डेड रास्ता नहीं हैं द्य तथा सभी प्रार्थीगण आपसी सामंजस्य से सदियों से निकलते हुए आ जा रहे हैं ।

- इन अप्रार्थीगणों के खसरा नम्बर में रिकार्डेड रास्ता नहीं होने से तथा अप्रार्थीगणों के प्रभावशाली होने के कारण इस वर्ष सभी प्रार्थीगणों को आने–जाने में रुकावट उत्पन्न करने लग गये द्य इस बाबत सभी प्रार्थीगण 1 लागयत 6 को समझाने की कोशिश की किन्तु अप्रार्थीगण नहीं समझे और आवागमन अवरुद्ध करने पर अड़े रहे । तथा प्रार्थीगण द्वारा मजबूर होकर जिला कलेक्टर व अप्रार्थीगण संख्या 7 के यहाँ आवेदन दिया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं होने से अप्रार्थीगण द्वारा आवागमन कास्त बाबत् प्रार्थीगण को बन्द कर दिया तथा गुस्से में आकर दिनांक 5/10/23 को अपने खेतों में अप्रार्थीगणों द्वारा ख.सं.466/66,461/66,462/66 के चारों तरफ तार फेसिंग कर दी किन्तु निकलने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी जिसका अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नही हैं ।

- अप्रार्थीगण द्वारा तार फेसिंग कर देने से प्रार्थीगण के खेत पड़त रहने की नोवत आ गई हैं तथा गाँव में अराजकता उत्पन्न हो गई हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पास अपने खेतों में आने–जाने बाबत सिवाय श्रीमान न्यायालाय की शरण लेकर प्रार्थना पत्र पेश कर अपने खेतों पर आने–जाने कास्त करने बाबत साधन ले जाने के लिए रास्ता कायम करवाये और इसी कारण यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी आया

- अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 5/10/23....को तार फेसिंग करने के कारण हर हदूद वाला उत्पन्न हुआ द्य और यह प्रार्थनापत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश करना लाजिमी आया।

- अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 466/66 के दक्षिणी मेड व खसरा नंबर 461/66,462/66 के उतरी मेड के सहारे सहारे 20 फीट रास्ता व आगे प्रार्थीगण के कब्जे कास्त की आने वाली जमीनो में रास्ता 20 फीट कायम करने के आदेश प्रदान किया जाना आवश्यक हैं तथा प्रार्थीगण द्य अप्रार्थीगण को जमीन के बदले पैसे देने को तैयार हैं द्य तथा प्रार्थीगण सभी अपनी अपनी जमीनों से एक–दूसरे को रास्ता देने को तैयार हैं ।

- अतः सेवामे प्रार्थनापत्र 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कर निवेदन हैं कि आराजी खसरा नम्बर 466/66 के दक्षिणी मेड व खसरा नम्बर 461/66 व 462/66

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:16:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी खण्डार (स. मा.) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

के उतरी मेड पर प्रार्थीगण को आने जाने बाबत 20 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में नवीन रास्ता कायम करवाने के आदेश प्रदान करे।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 5 की मृत्यु हो जाने पर अप्रार्थीगण संख्या 5 का नाम हजफ किया गया। अप्रार्थी संख्या 6 उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई। उक्त विवादित भूमि का तहसीलदार खण्डार से मौका रिपोर्ट प्राप्त किया गया, जो पत्रावली में संलग्न है।

3. अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसमें प्रार्थना पत्र के सभी बिन्दुओं को अस्वीकार किया गया ओर विशेष विवरण में अंकित किया गया। अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 की आराजी खसरा नम्बर 466/66 व 461/66 व 462/66 के उत्तरी दक्षिणी मेड से होकर कभी भी आम रास्ता न तो था ना ही वहां होकर रास्ता निकालने की गुन्जाइश है क्योंकि अप्रार्थीगणों ने करीबन 15—20 वर्ष पूर्व से ही चारो तरफ तार फेंसिग कर रखी है। प्राथीगणों के खेतों पर जाने का आम रास्ता पिछे होकर रिकॉर्डेड पहले से ही बना हुआ है। जिसमे होकर पुश्तैनी समय से आ जा रहे है। मात्र अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने की गरज से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कि खारिज फरमाये जाने योग्य है।

4. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान बताया गया है कि प्रार्थीगण अपने खेतों को हांक जोत करने के लिए गाँव से निकलकर आगे सर्वप्रथम अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 के खेत खसरा सं.466/66 रकबा 4 बीघा की दक्षिणी मेड व अप्रार्थी सं.5 व 6 के खेत खसरा नम्बर 461/ 66 रकबा 2 बीघा 11 विस्वा खसरा नम्बर 462/66 रकबा 2 बीघा 7 विस्वा जिनको अप्रार्थीगण ने एक ही खेत बना रखा हैं की उत्तरी मेड के सहारे सहारे अपने अपने खेतों को हांक जोतने व फसल लाने ले जाने के लिए ट्रेक्टर आदि कृषि यंत्र ले जाते रहे हैं। इन से आगे एक दूसरे के खेतों से होकर गुजरते हुए निकल जाते हैं किन्तु इन सभी अप्रार्थीगणों के खेतों सहित प्रार्थीगणों के खेतों में कोई राजस्व रिकार्ड में रिकार्डेड रास्ता नहीं हैं प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को जमीन के बदले पैसे देने को तैयार हैं तथा प्रार्थीगण सभी अपनी अपनी जमीनों से एक—दूसरे को रास्ता देने को तैयार हैं। प्रार्थनापत्र 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कर निवेदन हैं कि आराजी खसरा नम्बर 466/66 के दक्षिणी मेड व खसरा नम्बर 461/66 व 462/66 के उतरी मेड पर प्रार्थीगण को आने जाने बाबत 20 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में नवीन रास्ता कायम करवाने के आदेश प्रदान करे। तहसीलदार खण्डार रिपोर्ट अनुसार खसरे नम्बर की तरमीम नहीं होने के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा तरमीम किर रास्ता कायम करने हेतु निवेदन किया गया।

5. वकील अप्रार्थीगणों की बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान बताया गया है कि अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 की आराजी खसरा नम्बर 466/66 व 461/66 व 462/66 के उत्तरी दक्षिणी मेड से होकर कभी भी आम रास्ता न तो था ना ही वहां होकर रास्ता निकालने की गुन्जाइश है क्योंकि अप्रार्थीगणों ने करीबन 15—20 वर्ष पूर्व से ही चारो तरफ तार फेंसिग कर रखी है। यदि आम रास्ता अवरूद्ध किया गया है तो तहसीलदार खण्डार को सुनवाई का अधिकार है अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:16:51 IST
Reason: SelfAttested

6. वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थीगण के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कही भी अपनी खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर अंकित नही किये गये है केवल मात्र अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर अंकित किये गये। तहसीलदार खण्डार

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र में अंकित खसरा नम्बरों की नक्शा शीट में तरमीम नहीं होना अंकित किया गया है। खसरा नम्बर 66 के कुल उपखसरे 25 कुल रकबा 37.18 बीघा भूमि है उक्त उपखसरों में से किसी भी खसरा नम्बर की तरमीम नक्शा शीट में नहीं है। प्रार्थी द्वारा दौराने बहस तर्क किया गया था कि आराजी की तरमीम कर रास्ता दिया जाए। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 68 अनुसार धारा 251क के तहत निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा जिसमें आवेदक/प्रार्थी को स्वंय की जोत का विवरण खसरा नम्बर सहित अंकित करना आवश्यक है। किन्तु प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे कही भी अपनी जोत के खसरा नम्बरान अंकित नहीं किए गए। उक्त के अभाव यह जांच किया जाना संभव नहीं कि धारा 251क के तहत सबसे कम दूरी का रास्ता किस खसरे तक दिया जाना अपेक्षित है। फलस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधि अनुसार अपूर्ण होने के कारण एवं तरमीम नहीं होने के कारण प्रकरण खारिज किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तक्मील दफ्तर दाखिल हों।

यह निर्णय आज दिनांक 15.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वर्षा मीना)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार(स.मा.)

उपखण्ड अधिकारी खण्डार (स.मा.)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:16:51 IST
Reason: SelfAttested